

शमकुमार आदि - जजमाल आदि

17/2021

दिनांक	आज्ञा पत्र
26.12.20	पत्रावली प्रस्तुत आभेभाषक सघ न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानसार दिनांक 9.3.20 को पेश हो
9.3.21	पत्रावली प्रस्तुत आभेभाषक सघ न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानसार दिनांक 25.5.21 को पेश हो
25.5.21	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील्लाट/रेस्पो.उपरिस्थित अपील अधिकारी महोदय आज..... को पेश है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 11.7.21 को पेश हो।
11.7.21	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील्लाट/रेस्पो.उपरिस्थित अपील अधिकारी महोदय आज..... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 12.7.21 को पेश हो।
12.7.21	पत्रावली पेश वकील अपील्लाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील्लाट में रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील्लाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील्लाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सू.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर